

FROM No.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत (530) मुकाम 6142

..... बनाम
.....

किस्म मुकदमा नं. 49/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.3.21 को पेश हो।</p>	
30/03/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलायत स्थित पीठासीन अधिकारी का पत्रावली दिनांक 04/08/2021 श्री पेश टी/२</p>	<p>Dany अहमद कलक्टर (S.D.C) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
04/08/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलायत उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पत्रावली दिनांक 25/11/2021 श्री पेश टी/२</p>	
25/11/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विपक्षियों के नोटिस तामिल कम तामिल मजाला नमाला पीठासीन अधिकारी प्रमाणित जांच के संग मसि- थान - 2021 डेम्बों के पालय होने के मजाल इल्लवक रीडर मजाली दिनांक 23/05/2022 को पेश की</p>	

23/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
नौशिम तामिल अरुमा तामिल अरुमा/ इन्वजार
डोक्टर पत्रावली दिनांक 30/05/2022 को पेश की।

सहायक कलक्टर (SDO)

30/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
नौशिम तामिल अरुमा अरुमा जिसे वाकिल पत्रावली
किमा अरुमा/ विप्रार्थीगणों वाकिल तामिल अरुमा
नौशिम अरुमा तीन बार आवाज लगाई गई,
तमिल अरुमा 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी-
गण स्वयं मा उन्ही अरुमा से कोई अधिकार उपस्थित
नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकेट
आर्गवली अरुमा से लाई जाली है अतः वास्तविक
पत्रावली दिनांक 23/06/2022 को पेश की।

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला - बाडमेर

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1063

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चतरुदेवी पत्नी रायमलराम,
जाति जाट, निवासी जाखड़ा,
पटवार मण्डल जाखड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. सतुदान पुत्र रामदास वगैरा 08,
जाति जाट, निवासी जाखड़ा,
पटवार मण्डल जाखड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 49/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - जाखड़ा, पटवार मण्डल - जाखड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 242 रकबा 26.02 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1064 - 67

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति चतरुदेवी पत्नी रायमलराम,
4. विप्रार्थी श्री सतुदान पुत्र रामदास वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/06/2022

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर